2/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी डॉ. गुंजन सोनी आर.ए.एस.)

निगरानी प्र0 सं0 18/2017

मुन्शीराम पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थी

बनाम्

1. परसाराम | पि0 पूर्णाराम जाति ब्राहमण निवासी भूकरका तहसील
2. बनवारी | नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. प्रकाश पुत्र रामकुमार जाति ब्राहमण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. नरेन्द्र पुत्र श्रीरामचन्द्र जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. ग्राम पंचायत भूकरका जरियें सरपंच ग्राम पंचायत भूकरका तहसील नोहर।
6. सचिव ग्राम पंचायत भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.09.2016 प्रकरण संख्या 16/16 बअनवान परसाराम बनाम मुंशीराम

उपस्थितिः– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता, प्रार्थी

श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 04.03.2021

संक्षेप में निगरानी प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार से हैं :–

1. अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.09.2016 प्रकरण संख्या 16/2016 विधि विरूद्ध एवं गैरकानूनी ढंग से पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।

2. अधिनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण ने एक अपील इस आशय की पेश की कि अप्रार्थीगण रोही मौज भूकरका तहसील नोहर के निवासी तथा वे भूकरका से अपने खेतों में स्वीकृत भूमि रास्ता से पिछले 100 सालों से आवागमन करते आ रहे है। उक्त खेतों का रास्ता सार्वजनिक व मंजूर शुद्धा है। गांव के बाहरी किनारे पर ग्राम पंचायत द्वारा फिरनी छोड़ी हुई है तथा सार्वजनिक रास्ता है व अप्रार्थीगण व गांव के काश्तकार हमेशा से उक्त फिरनी से होकर आगे खेतों में आते जाते है। दिनांक 05.07.2012 को रेस्पो स0 1 प्रार्थी मुन्शीराम ने रास्ते को बंद कर दिया व उक्त जगह का पटटा होना बताया जिसका पता चलते ही ग्राम पंचायत भूकरका से नकल प्राप्त की पटटा की नकल मिलने पर अपीलाधीन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2/2

पटटा का ज्ञान व पता चला कि प्रत्यार्थी/प्रार्थी ने मुन्शीराम के रास्ता की जगह का दिनांक 17.11.1998 को अपने पटटा संख्या 11 जारी करवा लिया है। उक्त पटटा का विधि विरूद्ध जारी होना बताते हुए व पटटा की जानकारी से अपील अन्दर मियाद बताते हुए पटटा खारीज हेतु निवेदन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने अधीनियम की धारा 61 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु संस्थित की जानकारी पक्षकारान को सुनवाई व नोटिस जारी किये गये विवादित स्थल का मौका मुआवना करवाया गया। ग्राम पंचायत भूकरका से विवादित स्थल की निशानदेही का विस्तृत रिपोर्ट तलब का प्राप्त की गई। पक्षकारान उपस्थित आये जिन्हें सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान किया गया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी के पक्ष में जारी ग्राम पंचायत भूकरका द्वारा जारी पटटा खारिज कर दिया गया जिससे व्यथित होकर प्रार्थी निम्न आधारो पर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है–

(1) प्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत भूकरका द्वारा जारी 128 गुणा 40 फुट का पटटा विधिक प्रकिया अपनाकर जारी किया गया था एवं उक्त जगह वर्ष 2008 से पूर्व खसरा न. 802 की आराजी राज थी जो वर्ष 2008 से ग्राम पंचायत भूकरका द्वारा आबादी के रूप में स्थानान्तरित करवाई गई है एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा विधिक प्रकिया अपनाकर जारी किया गया था जिसे मातहत अदालत द्वारा कतई गलत तौर से खारिज किया गया है एवं उपरोक्त निर्णय विधिक अवहेलना में पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।

(2) प्रार्थी के पक्ष में जारी पटटा ग्राम पंचायत भूकरका तहसील नोहर द्वारा मिसल स0 14/88–99 कायम की जाकर व नियमानुसार सारी कार्यवाही की जाकर विक्रय राशि अदा होने पर किमतन पटटा जारी किया गया है एवं उक्त भूखण्ड पर पटटा जारी होने की दिनांक से ही काबिज है व लेकड़ी थेपड़ी आदि समान डालने के उपयोग व उपभोग में लेता आ रहा है एवं उक्त जगह कभी भी रास्ता नहीं रहा है। एवं उपरोक्त खेत मालिक मौजूदा सरपंच के खास आदमी हैव चुनावी रंजिश के कारण बिना किसी आधार के तंग एवं परेशान के लिए रास्ते की जगह बता रहे है। उपरोक्त पटटा से संबंधित माननीय सिविल न्यायालय में वाद विचाराधिन है इसलिए मातहत अदालत सिविल न्यायालय के निर्णय से पूर्व हस्तक्षेप करने की अधिकारिता नही रखती है।

(3) अप्रार्थीगण द्वारा मातहत अदालत में अपील धारा 75 एलआर एक्ट में प्रस्तुत की गई थी एवं जबकि अपील पंचायत राज अधिनियिम के तहत प्रस्तुत होनी चाहिए थी एवं मातहत अदालत द्वारा इन तथ्यों पर गौर न करके निर्णय पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2/3

(4) स्टेंडिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट था की गली बन्द है यानि विवादग्रस्त स्थल पर किसी प्रकार का रास्ता नही है। मातहत अदालत द्वारा बिना किसी विधिक विश्लेषण किये निर्णय पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।

(5) मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय के आधार पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के चारदीवारी में रास्ता निकालने का प्रयास किया तो प्रार्थी को पता चला कि मातहत अदालत द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय हो चुका है तब प्रार्थी ने नकल आदि ली एवं निगरानी प्रस्तुत कर रहा है। देरी का दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि मातहत अदालत द्वारा पारित प्रकरण संख्या 16/2016 निर्णय दिनांक 09.09.2016 अपास्त फरमावमें।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की तलबी की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया की निगरानी NOT PRESS में खारिज की जावें तो मुझे आपत्ति नहीं है तथा निगरानी चलाना नहीं चाहते है।

पत्रावली का अवलोकन किया। निगरानी प्रार्थी खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गुंजन सोनी, आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)